बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक–...............

संख्या–8 / आ0 (राज0 उ0)–2–06 / 2015–...564.../ श्री विनोद कुमार झा, तत्कालीन सहायक आयुक्त उत्पाद, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त उपायुक्त उत्पाद के विरूद्ध अवैध शराब का निर्माण, चौर्य बिक्री तथा कारोबारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में विफलता एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता, प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या–4491 दिनांक 07.10.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम–43 (बी.) के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

2. संचालन पदाधिकारी –सह–अपर विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के पत्रांक–476 दिनांक–03.10.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करायी गयी है। संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक–4927 अनु0, दिनांक–11.12.2017 द्वारा श्री झा से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी ।

3. श्री झा द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान दिनांक 02.01.2018 को विभाग में समर्पित किया गया। उनके द्वारा अपने बचाव वयान में ऐसा कोई तथ्य नहीं उल्लिखित किया गया है, जिस पर विचार किया जा सके।

4. संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं श्री झा द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान पर सम्यक् विचारोपरान्त अवैध शराब के निर्माण, चौर्य बिक्री तथा अवैध कारोबारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण में विफलता, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता, प्रभावी पर्यवेक्षण का अभाव जैसे आदि गंभीर आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (a) के तहत् उनके पेंशन की राशि से 10 % (दस) प्रतिशत पेंशन की कटौती करने का दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया । विभागीय पत्रांक–1720 दिनांक 23.05.18 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–2636 दिनांक 31.12.2018 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव अधिक होने के कारण आनुपातिक नहीं है, का अभिमत दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत के आधार पर श्री झा का बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (a) के तहत् उनके पेंशन की राशि से 5 (पांच) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(अभय राज)
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापंक–8 / आ0 (राज0 उ0)–2–06 / 2015 –.............. /

पटना, दिनांक–..................

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / वित्त विभाग, ई–गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–8/आ0 (राज0 उ0)–2–06/2015 –564/ पटना, दिनांक–15.02.19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना/ अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के आप्त सचिव/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा–5/आई0टी0 मैनेजर एवं श्री विनोद कुमार झा, सेवा निवृत्त उपायुक्त उत्पाद, 102–सूर्या अपार्टमेंन्ट, बोरिंग –पाटलिपुत्रा रोड, पटना–13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
बिहार, पटना।